

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल मजस/भूदान के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

ज्वाल खिडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 22 दिनांक 18/12/2020

मार्थी दिनेश कुमार मथुर डा 031 असकारण मामू

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 21,83/- जमा

जारीये रसीद संख्या 9869/5635, 5636

दिनांक 18/12/2020 को जमा करा दी है ।

10/1/2021

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

10/1

(Chinshetaram Mathur)

98252 97639

जी+1
आवासीय

p.No- 15 के धौपाखकी
राउंमिन बोर्ड